55/

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

आषाढ़ 18, सोमवार, शाके 1934–जुलाई 9, 2012
Asadha 18, Monday, Saka 1934–July 9, 2012

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वन विभाग

अधिसूचनाएं

जयपुर, जुलाई 6, 2012

एस. ओ. 65:– राज्य सरकार वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 38 V की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध ग्राम सभा एवं विशेषज्ञ समिति से परामर्श उपरांत एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28–12–2007 से अधिसूचित रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति (Tiger Reserve) के क्रान्तिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) के चारो ओर नीचे अनुसूचि – I में वर्णित वन एवं राजस्व क्षेत्र, जिसकी सीमाएं अनुसूची – II में वर्णित है, जहां क्रान्तिक व्याघ्र निवास की समग्रता और व्याघ्र प्रजातियों के लिए पर्याप्त विचरण को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मात्रा में निवास संरक्षण अपेक्षित है, जिसका उद्देश्य वन्यजीव और मानव क्रियाकलाप के बीच स्थानीय व्यक्तियों के जीविकोपार्जन, विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सम्यक् मान्यता के साथ सह अस्तित्व का संवर्धन करना है, को बफर क्षेत्र घोषित करती है। जिसे भविष्य में "रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति के मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer area)" के रूप में जाना जावेगा।

अनुसूची – I

जिला सवाई माधोपुर

वन क्षेत्र

क्र. सं.	वनखण्ड का नाम	वन मंडल	वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1	2	3	4	5
1.	ओलवारा निवारी	उप वन संरक्षक कोर बाघ परि.	आरक्षित वन	555.00

1	2	3	4	5
11.	सालमदरा – डी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	177.72
12.	गेंडोली	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	1732.14
13.	कांकरा	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	1372.83
14.	लाखेरी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	2435.18
15.	फौलाई	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	2438.89
16.	डोबरली	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	85.95
17.	बांकलिया महादेव	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	438.00
18.	रामनगर	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	38.02
			योग	19620.45

जिला टोंक
वन क्षेत्र

क्र. सं.	वनखण्ड का नाम	वन मंडल	वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	आमली ए	मण्डल वन अधिकारी टोंक	संरक्षित वन	903.47

मध्यवर्ती क्षेत्र (**Buffer area**) का विवरण

वन क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र : 27519.02 हैक्टर

राजस्व क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र : 2273.63 हैक्टर

कुल योग : 29792.65 हैक्टर

अनुसूची II
सीमा विवरण

खण्ड–1 रणथम्भौर बाघ परियोजना के क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट के वनखण्ड 9–बी के मौजा सांवटा के दक्षिणी पूर्वी बिन्दु से प्रारम्भ होकर बनास नदी के अन्दर चलते हुए रणथम्भौर बाघ परियोजना के क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट क्षेत्र के वनखण्ड डांग दूध भात के मौजा भावपुर की पूर्वी सीमा एवं क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट सीमा के मिलन बिन्दु तक। बाद क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट सीमा लाइन के सहारे–सहारे वनखण्ड डांगदूधभात की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ मौजा खिदरपुर जादौन की ढाणी महारू एवं क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट के मिलन बिन्दु तक। इसके बाद मौजा खिदरपुर जादौन की ढाणी महारू की राजस्व सीमा से शुरू होकर बनास नदी के अन्दर उत्तर से दक्षिण की ओर ग्राम तालड़ा के क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट . क्षेत्र के मिलन बिन्दु तक। उसके पश्चात क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट . क्षेत्र के मौजा तालड़ा की

बुदेल, गुडहेल, कांकरा, चमावली होते हुए लाखेरी वनखण्ड के मिलन बिन्दु तक। लाखेरी वनखण्ड की दक्षिणी सीमा पर स्थित ग्राम चमावली से पूर्व में होते हुए ग्राम लाखेरी, भावुरा, लोनाता की वन सीमा के सहारे होते हुए वनखण्ड गढवाला के मिलन बिन्दु तक। आरक्षित वनखण्ड गढवाला के दक्षिण में स्थित ग्राम लोनावा होते हुए वनखण्ड सालमदरा ए की दक्षिणी पूर्वी सीमा होते पुनः ग्राम अणघोरा के पास आरक्षित वनखण्ड गढवाला के मिलन बिन्दु तक। बाद आरक्षित वनखण्ड गढवाला की वन सीमा होते हुए उत्तर में स्थित ग्राम इन्द्रगढ खेडली के प्रारम्भ बिन्दु तक।

खण्ड–8 आरक्षित वनखण्ड मोहनपुरा के पश्चिम में स्थित ग्राम आजाद नगर के पास वनखण्ड की वन सीमा से शुरू होकर आरक्षित वनखण्ड मोहनपुरा के पश्चिम में स्थित ग्राम मोहनपुरा, फतेपुरा और जयनगर होते हुए आरक्षित वनखण्ड माताजीवाला के कोट (वर्तमान में टोल प्लाजा पर) स्थित मिलन बिन्दु तक। बाद आरक्षित वनखण्ड माताजीवाला की उत्तरी पश्चिमी वन सीमा पर चलते हुए ग्राम खालपुरा एवं जयनगर की सीमा के लगते हुए आरक्षित वनखण्ड अरियाली बुढकरवर के कम्पार्टमेंट 6 के मिलन बिन्दु तक। बाद आरक्षित वनखण्ड अरियाली बुढकरवर के कम्पार्टमेंट 6 की पश्चिमी सीमा से शुरू होकर कम्पार्टमेंट 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो कि वन सीमा बनाती है के सहारे आरक्षित वनखण्ड तलवास के मिलन बिन्दु तक। बाद आरक्षित वनखण्ड तलवास के पश्चिम से दक्षिण की ओर कम्पार्टमेंट 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 की वन सीमा के सहारे रामगढ विषधारी अभयारण्य के वनखण्ड पीपलिया माणक चौक के मिलन बिन्दु तक। बाद आरक्षित वनखण्ड तलवास के दक्षिणी सीमा से होते हुए कम्पार्टमेंट 19, 20, 21, 22, 23, 24 की पूर्वी सीमा जो कि वन सीमा है के सहारे वनखण्ड अरियाली बुढकरवर के कम्पार्टमेंट 5 पर स्थित मिलन बिन्दु तक। बाद वनखण्ड अरियाली बुढकरवर के कम्पार्टमेंट 5 की पूर्वी सीमा से उत्तर की ओर चलते हुए कम्पार्टमेंट 7 पर स्थित माताजीवाला वनखण्ड के मिलन बिन्दु तक। बाद आरक्षित वनखण्ड माताजीवाला की पूर्वी सीमा होते हुए कोट (वर्तमान में टोल प्लाजा पर) स्थित मिलन बिन्दु तक। बाद वनखण्ड मोहनपुरा की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा होते हुए प्रारम्भ बिन्दु तक।

खण्ड–9 आरक्षित वनखण्ड गढवाला के पूर्व में ग्राम विशनपुरा में स्थित वनखण्ड सालमदरा बी एवं इससे मिलते हुए वनखण्ड सालमदरा डी जिसकी सीमाए मौजा भाण्डगंवार, लाखेरी बालापुरा है के सम्पूर्ण हिस्सा।

खण्ड–10 रणथम्भौर बाघ परियोजना के क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट क्षेत्र से लगते हुए वनखण्ड गाजीपुर के कम्पार्टमेंट 5 से एवं वनखण्ड पोलधटा के कम्पार्टमेंट 1 के चाकल नदी स्थित मिलन बिन्दु से प्रारम्भ होकर वनखण्ड पोलधटा के कम्पार्टमेंट 1, 2, 3 की पश्चिमी

का संवर्धन करना है, को बफर क्षेत्र घोषित करती है। जिसे भविष्य में "सरिस्का व्याघ्र आरक्षिति के मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer area)" के रूप में जाना जावेगा।

अनुसूची – I
जिला अलवर वन क्षेत्र
वन मण्डल अलवर

क्र. सं.	रेंज	वन खण्ड	वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	अलवर	सीराबास	आरक्षित वन	2555.59
2.	अलवर	शेदावास	आरक्षित वन	3726.90
3.	अलवर	डडीकर	आरक्षित वन	2808.73
4.	अलवर	निदानी	आरक्षित वन	1570.43
5	अलवर	भाखेडा	आरक्षित वन	2885.74
6.	अलवर	धामला का बास	संरक्षित वन	600.86
7.	अलवर	हमीरपुर–क.नं 1 से 5	संरक्षित वन	717.84
8.	अलवर	धामला का बास A	संरक्षित वन	88.06
9.	अलवर	उमरैण	संरक्षित वन	511.04
10.	अलवर	बाग केशरपुर	संरक्षित वन	35.39
11.	अलवर	भाकेडा	संरक्षित वन	69.31
12.	अलवर	धोली धूप	संरक्षित वन	41.18
13.	अलवर	बल्ला वोडा	संरक्षित वन	31.55
14.	अलवर	जटियाना	संरक्षित वन	103.79
15.	अलवर	टोडियार A	संरक्षित वन	170.93
16.	अलवर	बीघोता (क.नं. 5 से 9)	आरक्षित वन	2096.87
			योग	18014.21

जिला अलवर राजस्व क्षेत्र

क्र. सं	खण्ड संख्या व क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ग्राम का नाम	तहसील	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
1	2	3	4	5
1.	1 (3076.08)	1–सिरावास	अलवर	680.86
2.		2–ढहलावास	अलवर	711.31
3.		3–चकशामलात	अलवर	97.96
4.		4–रामनगर	अलवर	189.93
5.		5–रोगडा	अलवर	334.86
6.		6–बख्तपुरा	अलवर	195.97
7.		7–रूंध बीनक	अलवर	126.46
8.		8–किशनपुर	अलवर	161.34
9.		9–पैंतपुर	अलवर	339.83
10.		10–दौबा रिंगतपुरी	अलवर	222.48
11.		11–शोदानपुरा	अलवर	15.08

1	2	3	4	5
51.	12 (5.00)	गुवाडा रईका (माधोगढ)	अलवर	5.00
			योग	8650.92

जिला जयपुर वन क्षेत्र
वन मण्डल जयपुर (मध्य)

क्र. सं.	नाम वनखण्ड	वन क्षेत्र का प्रकार	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
1.	बडी लाईन डीगोता 61	आरक्षित वन	6558.00

मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer area) का विवरण

वन क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र : 24572.21 हैक्टर
राजस्व क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र : 8650.92 हैक्टर

कुल योग : 33223.13 हैक्टर

अनुसूची – II
सीमा विवरण

खण्ड– 1 रक्षित वनखण्ड हमीरपुर के कम्पार्टमेंट 5 की उत्तरी पश्चिमी सीमा के कोने से प्रारम्भ होकर कम्पार्टमेन्ट नं. 5 की उत्तरी सीमा तथा कम्पार्टमेंट 5, 4, 3 व 2 की पूर्वी सीमा तथा कम्पार्टमेंट 1 की पश्चिमी–उत्तरी सीमा के साथ–साथ चलते हुए आरक्षित वनखण्ड सीरावास के कम्पार्टमेंट 19, 17, 16 व 15 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ, आरक्षित वनखण्ड डडीकर के कम्पार्टमेन्ट नं. 3 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ तथा कम्पार्टमेन्ट नं. 4, 5, 10, 11 व 12 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ। यहां से रक्षित वनखण्ड की टोडियार ए की पश्चिमी–उत्तरी सीमा तक। रक्षित वनखण्ड टोडियार के उत्तर–पूर्व कोने से प्रारम्भ होकर रक्षित वनखण्ड जटियाना, धौली धूप, बल्लाबोडा की पूर्वी सीमा के साथ–साथ। यहां से आरक्षित वनखण्ड निदानी के कम्पार्टमेन्ट 7, 8 व 9 की पूर्वी सीमा तथा कम्पार्टमेन्ट 9 की दक्षिण सीमा के साथ–साथ, आरक्षित वनखण्ड भाखेडा के कम्पार्टमेन्ट 1, 2, 3 व 4 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ तथा कम्पार्टमेन्ट 4 व 5 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ, रक्षित वनखण्ड भाखेडा की सीमा तक। यहां से रक्षित वनखण्ड भाखेडा की पूर्वी सीमा, आरक्षित वनखण्ड के कम्पार्टमेन्ट 5 व 7 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ तथा रक्षित वनखण्ड बाड केसरपुर व रक्षित वनखण्ड उमरैन की पूर्वी–दक्षिणी सीमा के साथ–साथ। यहां से आरक्षित वनखण्ड भाखेडा के कम्पार्टमेन्ट नं. 11 ए की दक्षिणी कोने तक। यहां से ग्राम साहोडी की उत्तरी सीमा (जो इसी ग्राम के खसरा नं. 1, 36,

चलकर ग्राम कलियान की दक्षिणी सीमा जो ग्राम कलियान के खसरा नं0 502, 503, 507, 508, 510, 408 की दक्षिणी सीमा भी है, के साथ–साथ नदी तक। यहां से ग्राम कालियान की सीमा से ग्राम गुवाडा सीरा के खसरा नं0 135 व 142 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ ग्राम गुवाडा डाबर की सीमा तक। यहां से गुवाडा सीरा की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ (खसरा नं0 143, 144, 155, 156, 162, 171, 184, 182, 187, 188, 189, 193, 198, 199, 204, 205 की दक्षिणी सीमा है) चलकर क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट की सीमा तक। यहां से आरक्षित वनखण्ड सिलीबावडी के कम्पार्टमेंट नं. 4 व 5 के मिलान बिन्दु तक। यहां से इसी वनखण्ड सिलीबावडी के कम्पार्टमेंट नं. 5, 6 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ तथा आरक्षित वनखण्ड नारायणीजी के कम्पार्टमेंट नं. 5 बी की पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट नं. 4 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट नं. 1 की पूर्वी– उत्तरी–पश्चिमी सीमा के साथ–साथ चलकर जयसागर बांध (अजबगढ़) तक। यहां से जयसागर बांध की पाल के साथ–साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड अजबगढ़ के कम्पार्टमेंट नं. 1 तथा रक्षित वनखण्ड पिपलाई मैन की पूर्वी वन सीमा के साथ–साथ (सिद्ध का तिराहा से पहले) ग्राम नडोली की ग्राम सीमा तक। यहां से इसी ग्राम के खसरा नं0 17, 18 व 19 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ चलकर रक्षित वनखण्ड नडोली की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ चलते हुए इसी वनखण्ड के दक्षिणी–पूर्वी कोने तक।

खण्ड– 6 ग्राम रायपुरा के पास रक्षित वनखण्ड रायपुरा की पूर्वी वन सीमा के कोने से प्रारम्भ होकर वनखण्ड की पूर्वी–उत्तरी वन सीमा के साथ–साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड जोधावास मय राजौर के कम्पार्टमेंट नं. 6 के मिलान बिन्दु तक। यहां से कम्पार्टमेंट नं. 6 व 5 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ चलकर कम्पार्टमेंट नं. 5 की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक। यहां से ग्राम रायपुरा की दक्षिणी सीमा (खसरा नं0 99, 100, 103) की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ चलकर खसरा नं0 165, 148, 166, 108, 96, 61, 58, 56, 15, 7 की पश्चिमी सीमा (जो वन सीमा भी है) के साथ–साथ चलकर ग्राम की आबादी खसरा नं0 16 के पास रक्षित वनखण्ड रायपुरा की उत्तरी–पूर्वी कोने पर वन सीमा के मिलान बिन्दु तक। (बफर क्षेत्र में शामिल खसरा नं0 15, 17 से 58, 61 से 95, 97 से 107)

खण्ड– 7 क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट के आरक्षित वनखण्ड बनी तालवृक्ष के उत्तरी पूर्वी कोने (खसरा नं0 2043) से खसरा नं0 2026 (नाला), खसरा नं0 2011 (नदी) के साथ–साथ घूम तक। यहां से खसरा नं0 1980 के साथ–साथ चलकर खसरा नं0 1940, 1939, 1936, 1935 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ चलते हुए ग्राम सीमा तक। यहां से ग्राम मानावास के खसरा नं0 35, 37, 39 व 29 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ चलकर रक्षित वनखण्ड मानावास के दक्षिणी–पश्चिमी सीमा मिलान के कोने तक। यहां से इसी वनखण्ड मानावास की

61

पश्चिमी सीमा के साथ–साथ चलकर कम्पार्टमेंट नं. 2 की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक। यहां से ग्राम हाजीपुर के खसरा नं0 721, 722, 723, 724 की दक्षिणी, 724, 717, 718, 707 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ चलकर रक्षित वनखण्ड हाजीपुर के दक्षिणी–पूर्वी कोने तक।

खण्ड– 10 क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट के रक्षित वनखण्ड दुहारमाला के मध्य इन्टीरियर वन सीमा लाईन के अन्दर स्थित समस्त राजस्व क्षेत्र शामिल है।

खण्ड– 11 क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट के रक्षित वनखण्ड नाथूसर के मध्य इन्टीरियर वन सीमा लाईन के अन्दर स्थित ग्राम लोज नाथूसर का समस्त राजस्व क्षेत्र शामिल है।

खण्ड– 12 गुवाडा रईका की आबादी व काश्त रकबा शामिल है।

[संख्या एफ.3(34)वन/2007]
राज्यपाल की आज्ञा से,
सी.एस. रत्नासामी,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।